न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 20/21–22

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

जयमसीह कन्डुलना – विक्रेता

अशीषण कन्डुलना – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
24.08.21	आदेश (see below)	

आदेश

आवेदक जयमसीह कन्डुलना पिता स्व0 बोवास कन्डुलना ग्राम–हतनादा, रनिया, पो0–रनिया, थाना रनियाँ, जिला खूँटी ने अशीषण कन्डुलना पिता स्व0 सुलेमान कन्डुलना ग्राम–बलंकेल, पो0–खटंगा, थाना रनियाँ, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड में)
रनिया (कोंयटोली)	138	12	1583	0.03

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/ निबंधन पट्टा एवं लगान की रसीद सं0 0378817889 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, रनियाँ के पत्रांक 393 दिनांक 16.08.21 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम लेगा मुण्डा हैं। पंजी II के अनुसार पौलुस मुण्डा वगैरह के नाम 13.33 एकड़ हैं। आवेदक के हिस्से में कुल रकवा 6.06 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021–22 तक किया गया है। भूमि का प्रस्तावित दर 13202.00(तेरह हजार दो सौ दो)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 6.03 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना रनियाँ के निवासी हैं एंव एक ही जाति मुण्डा (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, रनियाँ के द्वारा अनुशंसा किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, रनियाँ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण जयमसीह कन्डुलना पिता स्व0 बोवास कन्डुलना को अशीषण कन्डुलना पिता स्व0 सुलेमान कन्डुलना के साथ ग्राम रनियाँ (कोंयटोली) के खाता सं0 12 खेसरा संख्या 1583 कुल रकबा 0.03 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 13202.00(तेरह हजार दो सौ दो)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, रनियाँ के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.28 12:32:20 +05:30
Location: 10.93.43.4

24/08/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

24/08/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।